



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608]

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2003/अग्रहायण 27, 1925

No. 608]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2003/AGRAHAYANA 27, 1925

उपभोक्ता मामले, खाद्य और लोक वितरण भंडालय

(खाद्य और लोक वितरण विभाग)

अधिमूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2003

सा.का.नि. 953(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'चीनी विकास निधि (पांचवां संशोधन) नियम, 2003' है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 के नियम 16 के उपनियम (9) में, खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (ii-अ) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ii अ) (क) चीनी उपक्रम उपरोक्त खंड (i) में निर्दिष्ट करार के निष्पादन के पश्चात् और उपनियम (7) के अधीन ऋण संवितरण के पूर्व, केन्द्रीय सरकार के समाधान पर ऋण की प्रतिभूति देगा।

(ख) प्रतिभूति खंड (iv) में यथाउपबंधित प्रतिदाय की पूर्ण अवधि के लिए ऋण की रकम और उस पर व्याज सम्मिलित होगा और निम्नलिखित किसी रीतियों से दिया जाएगा, अर्थात् :—

- (1) किसी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी, या
- (2) समरूप प्रभार के आधार पर चीनी उपक्रम की सभी स्थावर और जंगम संपत्तियों पर कोई बंधक, जिसके न हो सकने पर, अनन्य दूसरे प्रभार के आधार पर।”

[सं. 4-15/99-एस डी एफ]
पी. उमा शंकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 752(अ) तारीख 28-9-1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए सा.का.नि. 517(अ) तारीख 20-12-1984, सा.का.नि. 838(अ) तारीख 14-11-1985, सा.का.नि. 551(अ) तारीख 06-05-1988, सा.का.नि. 235(अ) तारीख 24-04-1991, सा.का.नि. 441(अ) तारीख 28-04-1992, सा.का.नि. 435(अ) तारीख 06-05-1994, सा.का.नि. 27(अ) तारीख 12-01-1996, सा.का.नि. 656(अ) तारीख 21-11-1997, सा.का.नि. 91(अ) तारीख 12-02-2001, सा.का.नि. 886(अ) तारीख 06-12-2001, सा.का.नि. 443(अ) तारीख 21-06-2002, सा.का.नि. 584(अ) तारीख 19-08-2002, सा.का.नि. 67(अ) तारीख 29-01-2003, सा.का.नि. 241(अ) तारीख 25-3-2003, सा.का.नि. 787(अ) तारीख 6-10-2003 और सा.का.नि. 985(अ) तारीख 19-11-2003

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2003

G.S.R. 953(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Fifth Amendment) Rules, 2003.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983, in rule 16, in sub-rule (9), after clause (ii), the following clause (ii-A) shall be inserted, namely :—

“(ii-A) (a) The sugar undertaking shall, after the execution of the agreement referred to in clause (i) above, and before the disbursement of the loan under sub-rule (7), furnish security for the loan to the satisfaction of the Central Government.

(b) The security shall cover the amount of loan and interest thereon for the full period of repayment as provided in clause (iv), and shall be furnished in any of the following manners, namely :—

(1) Bank Guarantee from a Scheduled Bank, or

(2) A mortgage or all immovable and movable properties of the sugar undertaking on *pari passu*

charge basis failing which on the basis of an exclusive second charge.”

[No. 4-15/99-SDF]

P. UMA SHANKAR, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide No. GSR 752(E) dated 28-9-83 and subsequently amended vide GSR 817(E) dated 20-12-84, GSR 838(E) dated 14-11-85, GSR 551(E) dated 6-5-88, GSR 235(E) dated 24-4-91, GSR 441(E) dated 28-4-92, GSR 435 (E) dated 6-5-94, GSR 27(E) dated 12-1-96, GSR 656(E) dated 21-11-1997, GSR 91(E) dated 12-02-2001, GSR 886(E) dated 6-12-2001, GSR 443(E) dated 21-6-2002, GSR 584(E) dated 19-8-2002, GSR 67(E) dated 29-1-2003, GSR 241(E) dated 25-3-2003, GSR 787(E) dated 06-10-2003 and GSR 985(E) dated 19-11-2003.